दिनांक 16.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 20/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारों दीपावली पर्व आदि के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा/कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को आगामी त्यौहारों यथा धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज आदि के अवसर एवं दीपावली पर्व के दृष्टिगत विस्फोटक सामग्री/पटाखों के निर्माण/संग्रहण/विक्रय के सम्बंध में सुदृढ़ सुरक्षा/कानून व्यवस्था हेतु निम्न निर्देश दिये गयेः–

त्यौहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्देश

- धनतेरस, दीपावली आदि के अवसर पर सर्राफा बाजारों तथा अन्य बाजारों में भीड़–भाड़ के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किये जाये तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की डियूटी लगायी जाये साथ ही सादे वस्त्रों में भी पुरूष/महिला पुलिस कर्मियों की डियूटी लगायी जाये।
- बाजारों में एण्टी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय रखा जाये। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में पुलिस/पीएसी बल के साथ सघन फुट पेट्रोलिंग की जाये। पूर्व में घटित घटनाओं के दृष्टिगत हॉट–स्पाट चिन्हित कर गश्त/पिकेट डियूटी एवं यू0पी0–112 के वाहनो का प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाये।
- छोटी से छोटी सूचनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं मौके पर पहुॅच कर विवाद को हल करने एवं संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाये आवश्यकतानुसार सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाये।
- प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं0–8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय, किसी नई परम्परा की अनुमति न दी जाये।
- विगत वर्षों में अथवा इस वर्ष अभी तक जिन–जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ है, वहां पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित

अधिकारियों द्वारा अभी से स्थिति का अध्ययन कर लिया जाय एवं विवादों को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिये यथासमय प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- जनपद में रिजर्व पुलिस कर्मियों की टीम बनाकर उन्हें क्यूआरटी के रूप में रखा जाये तथा उनके साथ सभी भीड़ नियंत्रण/दंगा नियंत्रण से सम्बंधित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, मनोरंजन स्थल, पार्क, मल्टीप्लेक्स आदि स्थानों पर सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध किया जाये तथा आवश्यकतानुसार ए0एस0 चेक टीम एवं बी0डी0डीएस टीम से चेकिंग करा ली जाये।
- जनपद के अन्तर्गत विभिन्न शहरों, कस्बों तथा मोहल्लों में पूर्व में गठित शान्ति समितियों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों तथा धर्मगुरूओं के साथ जनपद/थाना स्तर पर गोष्ठी आयोजित कर लिया जाये।
- समस्त थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओ, डिजिटल वालन्टियर, संभ्रान्त व्यक्तियों, शान्ति समितियों के सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर एवं C-Plan app में फीड संभ्रांत व्यक्तियों के नम्बर पर वार्ता कर क्षेत्र में इस सम्बन्ध में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित के विरूद्ध संगत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये ।
- असामाजिक/अवांछनीय तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक कर इन पर विशेष निगरानी रखी जाय तथा आवश्यकतानुसार ऐसे तत्वों के विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। भीड़/दंगा नियंत्रण से सम्बन्धित उपकरणों को तैयारी की हालत में रखा जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरन्त उपयोग किया जा सके।
- जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के आस–पास प्रातःकालीन पोस्टर चेकिंग पार्टी निकाल कर सघन चेकिंग की जाये। इस दौरान शरारती/असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- जनपद में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरो को थानावार सूचीबद्ध कर उनकी क्रियाशीलता का परीक्षण कर लिया जाये। महत्वपूर्ण हॉटस्पाट व संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करायी जाये।
- भैयादूज, गोवर्धन पूजा आदि के अवसर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं भीड़–भाड़ वाले अन्य स्थानों के साथ–साथ नदियों व घाटों पर समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुये विशेष सतर्क दृष्टि रखी जाय। नदियों व घाटों पर आवश्यकतानुसार बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाये तथा स्थानीय गोताखोरों/जल पुलिस/बाढ़ राहत पीएसी की व्यवस्था की जाये तथा फलड लाइट व अल्टरनेट प्रकाश की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूसों में त्रुटि रहित, योजनाबद्ध पुलिस प्रबन्ध किया जाये। प्रतिमाओं तथा जुलूस की सुरक्षा हेतु बाक्स फार्मेट (Box Formation) में पुलिस प्रबन्ध करते हुए आगे, पीछे, दायें तथा बायें चारो तरफ डियूटियों लगायी जाये। समस्त पुलिस, पीएसी बल होमगार्डस की राजपत्रित अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग–डी ब्रीफिंग की जाये। इस दौरान रूफ टाप ड्यूटी हेतु स्ट्रेटजिक भवनों का चयन कर डियूटी लगायी जाये। समस्त जुलूस शोभायात्राओं में पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किया जाये। किसी भी शोभायात्रा/जुलूस को बिना समुचित पुलिस प्रबन्ध के अनुमति न प्रदान की जाये।

<u>विस्फोटक सामग्री/पटाखों के निर्माण/संग्रहण/विक्रय के सम्बंध में निर्देश</u>

- आतिशबाजी के निर्माण हेतु सामग्री एवं निर्मित आतिशबाजी का नियमानुसार संग्रहण सुनिश्चित किया जाये, सीमा से अधिक मात्रा में संग्रहण/भण्डारण कदापि न होने दिया जाये।
- पटाखों की दुकानों को अस्थायी रूप से लाइसेंस देने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाये। पटाखों की दुकानों के पास आवश्यक अग्निरोधक उपाय किये जाये, जिससे कि आग लगने पर आग बुझाने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा सके।
- आतिशबाजी विक्रय हेतु रिहायशी क्षेत्र से अलग स्थान को चिन्हित किया जाये। पटाखों आदि के वितरण/संग्रहण के स्थान पर पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। अग्निशमन विभाग के कार्मिकों को 24X7 सजग/सतर्क रखा जाये।
- विस्फोटक पदार्थ/पटाखा निर्माता एवं विक्रेताओं के लाइसेंस धारकों की सूची थानावार अद्यावधिक कर ली जाये। विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस धारकों एवं निर्माण स्थलों की आकस्मिक एवं प्रभावशाली चेकिंग उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ की जाये।
- चेकिंग के समय कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिये जो विस्फोटक पदार्थ के रख–रखाव/निस्तारण के सम्बंध में जानकारी रखता हो।
- अनुज्ञापियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी निर्माण हेतु विस्फोटक सामग्री का संग्रहण कदापि न किया जाये।
- वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा पटाखा/विस्फोटक सामग्री के परिवहन संबंधी प्रणाली की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका परिवहन निहित मापदण्ड के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं। नियम विरूद्ध परिवहन करने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- विस्फोटक सामग्री किसी स्थान पर पाये जाने की सूचना मिलने पर डाग स्क्वाड का प्रयोग यथासम्भव किया जाये। विस्फोटक सामग्री का पता लगाने हेतु विशेष प्रकार से प्रशिक्षित Sniffer dogs का प्रयोग किया जाये।
- नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जायें। जनपद के कन्ट्रोल रूम (डीसीआर, सीसीआर) में भिज्ञ एवं कुशल कर्मचारियों की शिफ्टवार डियूटी (24X7) लगायी जाय, जिससें सहज व त्वरित संवाद बना रहे।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क रखा जाय। अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की सघन मानीटरिंग की जाये तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्टों का तत्काल खण्डन करते हुये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

दिनांक 16.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 21/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गतमादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध सम्पत्ति अर्जित करने , के जब्तीकरण हेतु सक्षम (रूपये करोड 10 अनुमानित कीमत करीब) वाले अभियुक्त की सम्पत्ति प्राधिकारी से आदेश कराये गये।

माश्री योगी आदित्यनाथ जी 0प्र0मुख्यमंत्री उ 0 की अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति के अनुरूप **पुलिस महानिदेशक उश्री राजीव कृष्णा 0प्र0** द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं अभियुक्तों के विरूद्ध कडी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में **पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्रसहारनपुर ,** के निर्देशन में जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों का क्रय वाले अभियुक्तों के विरूद्ध में चलाये जा रहे विक्रय करने-**“ऑपरेशन सवेरा”** अभियान के अन्तर्गत दिनांक को थाना बु 19.08.2025ढाना पुलिस द्वारा शातिर अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त अब्दुल कादिर पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम जिजोला थाना झिंझानाशामली हाल पता , ग्राम रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को उसके अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से करोडों रूपये कीमतकी स्मैक बरामद की गयी थी। अभियुक्त द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करीत की गयी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विक्रय कर करोडों रूपयों की अवैध सम्पत्तियां अर्जि/ मुजफ्फरनगर द्वारा नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु तथा अवैध आर्थिक लाभ से अर्जित की गयी सम्पत्तियों के जब्तीकरण हेतु कार्यवाही के लिये पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अब्दुल कादिर उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी कर अर्जित की गयी सम्पत्तियों की जांच की गयी तथा अब्दुल कादिर तथा उसके परिजनों के नाम पर अर्जित की गयी ऐसी सम्पत्तियों की चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार की गयी तथा पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट –)68 की धारा 1985F) के तहत उक्त सम्पत्तियों के जब्तीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी SAFEM(FOP)A, 1976&NDPS ACT 1985, NEW DELHI को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा उक्त सम्पत्तियों के जब्तीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रभावी पैरवी एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। साक्ष्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया कि उक्त अभियुक्त ने मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जित कर स्वंय तथा परिजनों के नाम पर सम्पत्तियां खरीदी गयी हैं। इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक को 15.10.2025 अभियुक्त अब्दुल कादिर उपरोक्त द्वारा स्वंय तथा परिजनों के नाम पर मादक पदार्थों की विक्रय कर जनपद सहारपुरअवैध सम्पत्तियों के जब्तीकरण के आदेश 05 मुजफ्फरनगर व बागपत में अर्जित की गयी , पारित किये गये।

अभियुक्त अब्दुल कादिर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

.1मुएनडीपीएस एक्ट थाना कैराना 20/8 धारा 23/646 -0सं0अ0, शामली।

.2मु 18/626 -0सं0अ0धारा 22/बी8एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना, शामली।

.3मुएनडीपीएस थाना थानाभवन 21/8 धारा 23/259 -0सं0अ0, शामली।

.4मु (2)60/21/8 धारा 2025/341 -0सं0अ0एनडीपीएस एक्ट थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर।

<u>अभियुक्त अब्दलु कादिर उपरोक्त द्वारा स्वंय तथा परिजनों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्तियों का विवरण-</u>

- मुजफ्फरनगर। ,वर्ग मीटर का आवासीय भूखण्ड 546.55
- एक आवासीय दोमंजिला मकान मुजफ्फरनगर। ,वर्गमीटर 307.50
- कृषि भूमि मुजफ्फरनगर। ,हेक्टेयर 0.068
- बागपत। ,वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड344.44
- वर्गमीटर का दोमंजिला आवासीय 156.8मकानसहारनपुर। ,

<u>उपरोक्त सभी संम्पतियों की अनुमानित कीमत करीब करोड रूपये है। 10</u>

दिनांक 16.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 22/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जन उर्वरक परियोजना भारत (डी.ए.पी.) इण्डियन पोटास लिमिटेड के कूटरचित बैग में नकली डी.ए.पी. व उर्वरक तैयार कर किसानों को बेचने एवं अन्य राज्यों में वितरित करने वाले गैंग के सरगना सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली खाद बरामद।

दिनांकः 15–11–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जन उर्वरक परियोजना भारत (डी0ए0पी0) इण्डियन पोटास लिमिटेड के कूटरचित बैग में नकली डी0ए0पी0 व उर्वरक तैयार कर किसानों को बेचने एवं अन्य राज्यों में वितरित करने वाले गैंग के सरगना सहित 03 व्यक्तियों को भारी मात्रा में नकली खाद के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– राहुल सिंघल पुत्र उपेन्द्र सिंघल निवासी सैक्टर 02 राजेन्द्र नगर, 3/10 साहिवाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद। (मुख्य सरगना)

2– सुभाष सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी भैंसा थाना रिफाइनरी जिला मथुरा।

3– जगन सिंह पुत्र राम प्रसाद निवासी इकराम नगर थाना कागारौल कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगीः

1– 500 बोरी नकली/संदिग्ध उर्वरक।

2– 35 बैग भारत डी0ए0पी0 (आई0पी0एम0 कम्पनी मार्का)

3– 450 बैग विराट भूमि शक्ति मार्का।

4– 550 बैग बिना मार्का।

5– 01 ट्रक नम्बर आर0जे0 05 जीबी 6212

6– 01 बुलेरो यूपी–85 सीएन 7497

7– 01 पैंकिग सिलाई मशीन।

8– 1200 नग खाली बैग भारत डी0ए0पी0 आई0पी0एल0 कम्पनी कम्पनी मार्का।

9– 1000 बैग खाली बैग प्लेन बिना पिंट किए हुए।

10– 50 रील धागे की रील।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

1–तारसी चौराहा थाना क्षेत्र हाइवे जिला मथुरा दिनांक–15–10–2025 समय– 08:15 बजे।

2–बम्वा रोड टेलीफोन एक्सचेंज, मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक–15–10–2025 समय–17.50 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से नकली डीएपी उर्वरक बनाकर बाजार में बेचने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ आगरा की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि नकली डी0ए0पी0 व उर्वरक खाद से भरा हुआ एक ट्रक मथुरा आने वाला है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा श्री अवधेश कुमार सिंह, अधिसूचित प्राधिकारी जिला कृषि अधिकारी मथुरा को साथ लेकर तारसी चौराहा थाना क्षेत्र हाइवे मथुरा पर संदिग्ध ट्रक नं आर0जे0 05 जीबी 6212 को रोककर उसके चालक जगन सिंह से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि ट्रक में लोड खाद को एग्रो जक्शन केन्द्र, तारसी चौराहा पर सुभाष सिंह की दुकान पर देना है। इस सम्बन्ध में दुकान मालिक सुभाष से इस नकली खाद के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि राहुल सिंह निवासी गाजियाबाद से उक्त एमओपी क्रय करने का सौदा हुआ था जिसकी धनराशि मेरे द्वारा कैश के रूप में दी गई थी। दोनो व्यक्तियो से पूछताछ के आधार पर प्राप्त जानकारी के उपरान्त एसटीएफ आगरा से एक टीम गाजियाबाद पहुॅची, जो श्री अमित कुमार, जिला कृषि अधिकारी गाजियाबाद को साथ लेकर नकली संदिग्ध उर्वरक बनाये जाने वाले स्थान बम्वा रोड टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे मुरादनगर गाजियाबाद स्थित अवैध उर्वरक निर्माण परिसर से राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया एवं मौके पर नकली/संदिग्ध उर्वरक को सीज कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

उक्त बरामदगी के दौरान जिला कृषि अधिकारी मथुरा/गाजियाबाद की टीम द्वारा उक्त बरामद सामान व डी0ए0पी0 संदिग्ध उर्वरक की तकनीकी जॉच एवं सैम्पलिंग की कार्यवाही हेतु उक्त उत्पादकों के नमूना लेकर जॉच के लिए भेजा गया

है। जिलाधिकारी मथुरा/गाजियाबाद द्वारा अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

अभियुक्तों से की गयी पूछताॅछ का कमवार विवरण–

ट्रक नम्बर आरजे0 05 जीबी 6212 के चालक जगन सिंह ने पूछताॅछ पर बताया कि मेरे द्वारा रींगस इण्डस्ट्रियल एरिया खाटूश्याम, राजस्थान से ट्रक में खाद लोड कराया गया है, जिसे एग्री जक्शन केन्द्र, तारसी चौराहे पर श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री उदय सिंह नि0 भौंसा थाना रिफायनरी मथुरा की दुकान पर रात्रि 12:30 बजे देने हेतु बताया गया था।

मुख्य अभियुक्त राहुल सिंघल उपरोक्त द्वारा पूछताॅछ में बताया कि पकड़ी गयी डी0ए0पी0 उर्वरक नकली है जिसका निर्माण/पैकिंग मेरे द्वारा कराया जा रहा है। इसका कच्चा माल मुजफ्फरनगर से तथा आई.पी.एल. मार्का भारत डी.ए.पी. के खाली बैग जयपुर राजस्थान एवं कोलकाता से मंगाया जाता है। वह इस कार्य को काफी समय से कर रहा है। नकली खाद की सप्लाई उ0प्र0 राजस्थान व अन्य राज्यों के किसानों को करता है। इस काम में लगभग तीन–चार गुना मुनाफा होता है। गोदाम सेड में भण्डारण हेतु 25 हजार रूपये प्रतिमाह के रेट से ताज चौधरी को देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त जगन सिंह (ट्रक चालक) सुभाष सिंह (दुकान मालिक) के विरूद्ध थाना हाइवे मथुरा मु0अ0स0 0952/2025 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 1955 का अभियोग व अभियुक्त राहुल सिंघल के विरूद्ध थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद में मु0अ0स0 0527/2025 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 1955 व 318 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

राहुल सिंघल का अपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0–279/2024 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 थाना किरावली कमिश्नरेट आगरा।

2– मु0अ0सं0–1111/2019 धारा 13/65 कापी राइट 420/465/467/468/469/471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फनगर उ0प्र0।

3– मु0अ0सं0–353/2021 धारा 406/420/504/506 भांदवि0 थाना नई मण्डी मुजफ्फनगर उ0प्र0।

4– मु0अ0स0 0527/2025 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 1955 व 318 (2) बीएनएस थाना मुरादनगर गाजियाबाद।

जनपद संतकबीरनगर/थाना धनघटा

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 16.10.2025 को थाना धनघटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बड़गो गांव मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशरफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अशरफ निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

• पुलिस कायवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूटे गये 4500/—रूपये नगद

• घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 15/16.10.2025 की रात्रि थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटूजेड रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त

1–इदरीश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–निहाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 4500/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना नई मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इदरीश निवासी बन्धेडी महावतपुर थाना सिविल लाइन रूड़की हरिद्वार।

2–निहाल निवासी बन्धेडी महावतपुर थाना सिविल लाइन रूड़की हरिद्वार।

बरामदगी

1–लूटे गये 4500/–रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कन्नौज/थाना गुरसहायगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 25 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.10.2025 को थाना गुरसहायगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डुडंवा बुजुर्ग अण्डरपास के पास से 03 अभियुक्तों

1–ऋषि 2–गौतम 3–अमन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 25 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.10.2025 को थाना गुरसहायगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुरसहायगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त ऋषि के विरूद्ध जनपद बांदा, बिजनौर, रामपुर व मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त गौतम के विरूद्ध जनपद रायबरेली, औरैया, कन्नौज व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त अमन के विरूद्ध जनपद बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर व कन्नौज के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गुरसहायगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ऋषि निवासी कडिया सांसी थाना बोडा जनपद रामगढ़ मध्यप्रदेश।

2–गौतम निवासी कडिया सांसी थाना बोडा जनपद रामगढ़ मध्यप्रदेश।

3–अमन निवासी कडिया सांसी थाना बोडा जनपद रामगढ़ मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 25 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना रामनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 100 पेटी अवैध शराब**
- **घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद**

दिनांक 16.10.2025 को थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढुंढिराज पुलिया के पास से अभियुक्त सूबेदार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 100 पेटी अवैध शराब, घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सूबेदार निवासी ग्राम सदलपुरा थाना अलीनगर जनपद चंदौली।

बरामदगी

1—लगभग 03 लाख रूपये कीमत के 100 पेटी अवैध शराब।

2—घटना में प्रयुक्त वाहन।

➢ **जनपद श्रावस्ती/थाना कोतवाली भिनगा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 22—22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/302/34/308/323/324/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—पंकज 2—अनूप 3—बड़के उर्फ सोहन 4—राम अवतार 5—अरविन्द कुमार उर्फ पवन 6—पुत्तीलाल को आजीवन कारावास व 22—22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद बस्ती/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/323/506भादवि व 6

पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ बोदर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राकेश 2–छोटे 3–रामधीन को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————